न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–प्रियंका तलानिया(आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–82/2021

जेठाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति नायक उम्र–42 वर्ष निवासी 2 एनएसएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

---वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. सोनाराम पुत्र सहीराम जाति नायक उम्र 90 वर्ष निवासी 2 एन एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज. काश्त. अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–25.03.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 2 एन.एस.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–16 पत्थर सं–21/48 का किला नं.–1ता8 की कुल 8 बीघा यानि 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम जेठूराम पुत्र सोनाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं.–2 सोनाराम के नाम से वाके चक 2 एन.एस.एम. तहसील अनूपगढ. का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–21/48 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमें से उक्त विवादित कृषि भूमि किला नं.–1ता8 की कुल 8 बीघा भूमि प्रतिवादी सं.–2 द्वारा वादी को जरिए पंजीकृत दान पत्र दिनांक–31.12.2015 को अन्तरित की गई तथा तत्पश्चात पंजीकृत दस्तावेज दान पत्र के आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह–खातेदार कृषक है। वादी का सही व वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र सोनाराम है लेकिन उसका घरेलू नाम जेठू होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारों में दोनों नामों जेठू व जेठाराम के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है वाद के पिता प्रतिवादी सं.–2 द्वारा दस्तावेज दान पत्र निष्पादित करवाते समय सहवन से प्रलेख लेखक को वादी का घरेलू नाम जेठूराम पुत्र सोनाराम दर्ज दिया था तत्पश्चात दान–पत्र के आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जेठूराम पुत्र सोनाराम के नाम से ही दर्ज हुआ, जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही व वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र सोनाराम है वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व बैंक खाता जिनकी प्रतियां संलग्न वाद पत्र है, में वादी का नाम जेठूराम दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम जेठाराम ही है उक्त त्रुटि का ज्ञान कृषि भूमि पर विद्युत विभाग का कनेक्शन की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होनें रिकॉर्ड देखकर [illegible] का नाम दर्ज नही बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड जेठूराम दर्ज है पटवारी हल्का द्वारा [illegible] को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चारागोई करने के लिए [illegible] राजस्व अनूपगढ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कह[illegible]चारागोई करे बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी के राजस्व रिकॉ[illegible] एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–अलग होने के कारण वादी का नाम गलत रूप से जेठूराम दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व अन्य दस्तोवजात में वादी का नाम जेठाराम दर्ज है। जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसलिए न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सहबन से गलत दर्ज हुए नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.05.25 11:29:02 IST
Reason: SelfAttested

को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नही करना पड़े।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या–02 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ने उपस्थित होकर इकबालदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का सही वा वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र सोनाराम है लेकिन उसका घरेलू नाम जेठू होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी मे दोनों नामों जेठू व जेठाराम के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी व मन प्रतिवादी ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है मन प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज दान पत्र निष्पादित करवाते समय सहबन से प्रलेख लेखक को वादी का घरेलू नाम जेठूराम पुत्र सोनाराम दर्ज दिया था तत्पश्चात दान पत्र के आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जेठूराम पुत्र सोनाराम के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वाद की मद संख्या 2 मे दर्ज कृषि भूमि जो जेठूराम पुत्र सोनाराम दर्ज है के संबंध में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी जेठाराम पुत्र सोनाराम के नाम से दर्ज की जावे तो मन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या–01 तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेज में प्रार्थी का जेठूराम के स्थान पर जेठाराम किये जाने की अनुशंषा की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादी का नाम जेठूराम पुत्र सोनाराम न होकर जेठाराम पुत्र सोनाराम है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–01 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एनएसएम तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.–21/48 मुरब्बा नं. –16 का किला नं.–1ता8 की कुल 2.024 हैक्टर कृषि भूमि में जेठूराम पुत्र सोनाराम के स्थान पर जेठाराम पुत्र सोनाराम का अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.05.25 11:29:02 IST
Reason: SelfAttested